BA-2, Paper - 3rd
Election Commission (चुनाव आयोग)
Date - 08.07.2020
Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc), RMC, VKSU

निर्वाचन आयोग (EC) - EC एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान में अनु 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान है।

संरचना - Art 324 - 329 तक संपूर्ण व्यवस्था की गई है।

1. EC मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है।
2. CEC और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझें।
4. निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

चुनाव आयोग की शक्ति एंव कार्यों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है -

1. प्रशासनिक
2. सलाहकारी
3. अर्द्धन्यायिक

1. संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के 1/3 भाग का निर्वाचन करना।
2. समय - समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और

Scanned with CamScanner

और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना।

3. निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का पंजीकरण करना।

4. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना।

5. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना।

6. निर्वाचन संबंधित विवाद को हल करने के लिए अधिकारी नियुक्त करना।

7. निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना।

8. संसद सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।

9. विधानपरिषद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना।

10. रिटिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना।

11. समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना।

12. राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में एक वर्ष समाप्त होने के बाद निर्वाचन करवाए जाए या नहीं।

13. निर्वाचन के मद्देनजर रा० दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय दल का दर्जा देना।

निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं। वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। CEC (Chief Election Commissioner) को महाभियोग जैसी प्रक्रिया

प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। CEC का दर्जा के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। संविधान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है जिससे वे अपने कार्यों में निडरता, निष्पक्षता तथा बिना किसी हस्तक्षेप के संपादित कर सकें। दिन लोकतंत्र के मजबूत होने के साथ साथ निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ भी बढ़ती गई है। चुनाव के समय आचार संहिता लगने के बाद चुनाव कार्य में लगे समस्त स्टाफ पर चुनाव आयोग का नियंत्रण होता है और आयोग को यह अधिकार होता है कि चुनाव कार्य में नियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

भारत का चुनाव आयोग अपनी चुनावी गतिविधियों को सुचारु रूप से करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। में सराहनीय है।

Scanned with CamScanner